बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र बिहार विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बृहस्पतिवार, तिथि ८ दिसम्बर, १९६६ को पूर्वाह्न ११ बजे डा० लक्ष्मी नारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

श्री नवल किशोर सिंह—महाशय, मैं बिहार विधान-सभा के सत्र फरवरी से अप्रील, १९६६ ई० के १,२९१ तारांकित प्रश्नों में से ११५ प्रश्नों के उत्तर† सदन के पटल पर रखता हूं।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर।

स्वर्णकारों की गिरफ्तारी।

*१। श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या मुख्य मंत्री, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) कितने स्वर्णकार इस राज्य में स्वर्ण नियंत्रण आदेश के विरुद्ध आन्दोलन के सिलसिले में गिरफ्तार हुए ;

(२) उनको कारामुक्ति का आदेश कब दिया गया, यदि नहीं, तो क्यों ?

*श्री जनार्दन तिवारी—श्री कर्पूरी ठाकुर, जो इस प्रश्न के प्रश्नकर्त्ता हैं, अभी सदन में मौजूद नहीं हैं। चूंकि यह अल्पसूचित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए इसे पूछने की अनुमति मैं चाहता हूं।

अध्यक्ष—अगर प्रश्नकर्त्ता इस प्रश्न के महत्व को समझते तो सदन से अनुपस्थित नहीं रहते। लोक-सभा में एक ही प्रश्न के कई प्रश्नकर्त्ता रहते हैं और उस प्रश्न के सामने उनका नाम अंकित रहता है। आपको भी अपना नाम देना चाहिये।

---

*प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति में श्री जनार्दन तिवारी के अनुरोध पर उत्तर दिया गया।

† कृपया परिशिष्ट देखें।

(२) क्या यह बात सही है कि श्री जयचन्द्र झा, शिक्षक, शिवहर बुनियादी विद्यालय (मुजफ्फरपुर) को रीवर्ट कर दिया गया है ;

(३) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त शिक्षक स्नातक हो गए हैं ;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त शिक्षक को ग्रेजुएट स्केल देना चाहती है ; यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(४) श्री जयचन्द्र झा, शिक्षक, शिवहर बुनियादी विद्यालय (मुजफ्फरपुर) स्नातक हो गये हैं, उनकी नियुक्ति प्रधानाध्यापक के पद पर करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

महादेव सिमरिया मिड्ल स्कूल के मंत्री के विरुद्ध कार्रवाई

१०८७। श्री श्रीकृष्ण सिंह—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सिकन्दरा प्रखंड (मुंगेर) के महादेव सिमरिया मिड्ल स्कूल के साधारण कोष का पास बुक मंत्री एवं प्रधानाध्यापक के नाम से रखने का आदेश अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, जमुई ने दिया है किन्तु इस आदेश का पालन अभीतक सभापति और मंत्री ने नहीं किया है ।

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त शिक्षा पदाधिकारी ने आदेश दिया कि छात्र कोष की रकम प्रधानाध्यापक एवं एक वरीय सहायक शिक्षक के नाम से पास बुक में जमा होनी चाहिये किन्तु मंत्री ने इस आदेश के बावजूद अपने ही नाम में जमा रखा है ;

(३) क्या यह बात सही है कि रामखेलावन राय, उप-शिक्षा अधीक्षक, मुंगेर ने इस स्कूल के परिदर्शन पुस्तिका में यह निर्देश दिया है कि विद्यालय की वर्त्तमान प्रबंध समिति विद्यालय के काम में दिलचस्पी नहीं लेती है, अतः दूसरी समिति का गठन किया जाय किन्तु इस आदेश का पालन भी मंत्री और सभापति ने आजतक नहीं किया ;

(४) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह—(१) उत्तर इस प्रकार है—

महादेव सिमरिया मिड्ल स्कूल के साधारण कोष का पास बुक मंत्री एवं प्रधानाध्यापक के नाम से रखने का आदेश अवर-प्रमंडल शिक्षा पदाधिकारी, जमुई ने नहीं दिया है बल्कि दिनांक ३० अक्तूबर १९६४ को उक्त विद्यालय के निरीक्षण के उपरान्त अपनी निरीक्षण टिप्पणी में उन्होंने यह अंकित किया था कि सामान्य कोष का पास बुक मंत्री एवं प्रधानाध्यापक के नाम से रखा जाय किन्तु इस सुझाव के अनुसार मंत्री द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है ।

(२) प्रश्न खंड (१) के उत्तर में निर्दिष्ट निरीक्षण टिप्पणी में अवर-प्रमंडल शिक्षा पदाधिकारी, जमुई ने यह भी अंकित किया था कि छात्र-कोष की रकम प्रधानाध्यापक एवं वरीय सहायक शिक्षक के नाम से खुले पास बुक में रखा जाय, किन्तु इस सुझाव का भी कार्यान्वयन नहीं हुआ है ।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(४) प्रश्न खंड (१) एवं (२) में अंकित अवर-प्रमंडल शिक्षा पदाधिकारी, जमुई के द्वारा उनकी निरीक्षण टिप्पणी में दिए सुझाव एवं प्रश्न खंड (३) अंकित प्रबन्ध समिति के पुनर्गठन के संबंध में शिक्षा उपाधीक्षक के सुझाव के कार्यान्वयन के निमित्त जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उप-निरीक्षक, जमुई को आदेश दिया गया है कि प्रबंध समिति का पुनर्गठन करावें।

प्रबंध समिति के सदस्यों का चुनाव

१०८८। श्री कम्पा मुर्मू—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सिकन्दरा प्रखंड, जिला मुंगेर के महादेव सिमरिया माध्यमिक विद्यालय की प्रबन्ध समिति के सदस्यों का चुनाव पिछले दस वर्षों से क्यों नहीं किया गया है?

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह—सदस्यों का कार्य-काल तीन वर्ष है। नियमानुसार प्रतिवर्ष एक-तिहाई सदस्य हटाये जाते (वेलौट आउट) हैं। तीन वर्ष के सदस्य नहीं रहने पर जो सदस्य एक वर्ष से अधिक के रहते हैं उनमें से अपेक्षित संख्या में सदस्य गोटी डालकर हटाये जाते हैं। इस विद्यालय में १९५५ के बाद आजतक इस प्रकार समिति का नवीकरण नहीं हुआ। प्रबंधक समिति के सदस्यों, प्रधानाध्यापक और निरीक्षी पदाधिकारियों की अनवेयनता के कारण ही बीच में चुनाव नहीं हुआ। विद्यालय उप-निरीक्षक, जमुई को आदेश दिया गया है कि प्रबंध समिति को नियमानुसार गठित करावें।

श्री शिवनारायण सिंह के वेतन का भुगतान।

१०८९। श्री रामानन्द यादव—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री शिवनारायण सिंह, ग्राम अंचल रघुनाथपुर सन् १९५२ के फरवरी माह में वृत्तिभोगी कन्या निम्न प्राथमिक विद्यालय, बरियारपुर, अंचल पंचखी, जिला सारण में अध्यापक थे;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त शिक्षक को फरवरी माह सन् १९५२ का वेतन अभी तक नहीं मिला है, यदि हां, तो क्यों?

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह—(१) उत्तर नकारात्मक है। फरवरी, १९५२ में इस विद्यालय में श्रीमती परमेश्वरी देवी शिक्षिका थीं।

(२) प्रश्न खंड (१) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।